

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला खण्डवा (म.प्र.)

क्र. 19 /2018/एलए/

खण्डवा, दिनांक 25-5-2018
रा.प्र.क्र. 0013/अ-82/2017-18 रोहनाई

// सार्वजनिक सूचना //

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12.02.2014/सात/ए दिनांक 12.11.2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू धारकों की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" जारी की गई है।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा की पलासी तालाब योजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्राम रोहनाई के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू-स्वामी/भू स्वामियों द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र-ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका-11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि/मकान का विवरण

जिला खण्डवा, तहसील खण्डवा, पटवारी हल्का नं. 15, ग्राम रोहनाई राजस्व निरीक्षक मण्डल चिचगोहन।
प्रभावित रकबा :- 0.56 हेक्टेयर

स. क्रं.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. में	प्रभावित रकबा हैं. में.	सिंचित रकबा हे. में	असिंचित रकबा हे. में	अन्य सम्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जानकीबाई बेवा नंदू	59	0.52	0.01	0.01	0.00	निरंक
2	तोताराम पिता निहाला	58	0.16	0.02	0.02	0.00	निरंक
		57	0.15	0.03	0.03	0.00	निरंक
3	मंगत्या पिता कालू	49	1.24	0.08	0.08	0.00	निरंक
4	बसुंबाई बेवा मकुन्द	19	1.16	0.07	0.07	0.00	निरंक
5	मांगीलाल पिता सीताराम	18	0.10	0.05	0.00	0.05	निरंक
		02	3.88	0.30	0.30	0.00	निरंक

(विशेष गढ़पाले)
कलेक्टर